तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 130/2023 रामप्रताप बनाम हंसराज वगै अन्तर्गत धारा 128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/02/24	पत्रावली पेश हुई । अवलोकन किया गया । राजपैरोकार उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही आदेश दिए गए है। बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से एक खातेदारी भूमि वाके ग्राम रोही भादवां पटवार हल्का खीयेरां भूअभिलेख क्षेत्र हंसेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर खाता नया 102 व पुराना खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 355/46 मे 0.6500 हैक्टेयर बारानी 2 व खसरा नम्बर 359/132 मे 1.7200 हैक्टेयर बारानी 2 कुल 2.3700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी ने अपने उक्त रकबा का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार लूनकरनसर के यहा दिनांक 05.05.2023 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.05.2023 को तहसीलदार लूनकरनसर ने उपरोक्त रकबा का सीमाज्ञान करवाने का आदेश पारित किया गया जिस पर पटवारी हल्का ने मौका पर जाकर प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाया तथा रेत के दाबे से चिन्ह बनाये गयें। चूंकि पत्थरगडी का आदेश करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् जी को है इसलिए प्रार्थी उक्त आवेदन कर रहा है ताकि प्रार्थी को उसके रकबा की पत्थरगडी करने का आदेश पारि किया जाने हेतु वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया तथा मौका पर पडौसियों के द्वारा पत्थरगडी करने के लिए मना किया जा सकता है तथा मौके पर झगडा फसाद करने पर उतारू हो सकते है इसलिए पुलिस इमदाद से रकबा पत्थरगडी करवाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थरगड़ी पर सहमति प्रकट की गईं। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर के आदेश क्रमांक 245 की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 23.05.2023 को प्रार्थी रामप्रताप पुत्र मघाराम जाति जाट के ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 355/46,259/132 मे कुल रकबा 2.3700 हैक्टेयर का सीमाज्ञान करने मौका पर पहुंचे उपस्थितमौतबिरानों के अनुसार ग्राम भादवा मे स्थित कुण्ड/कुआ को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए उक्त खसरे के सीमा चिन्ह किये गयै सीमाचिन्ह लगाते हुए खेत के पश्चिमी हिस्से का कुछ रकबा पश्चिमी दिशा मे स्थिति बाड मे है तथा खेत के उत्तरी हिस्सा का कुछ रकबा उत्तर दिशा मे स्थित राजकीय विद्यालय भादवा मे स्थित है उक्त रकब का सीमाज्ञान करते हुए सीमा चिन्हो को लगाया गया है। जिसके अध्ययन मे राजकीय विद्यालय भूमि को छोड़ते हुए किसी प्रकार की विपरीत रिपोर्ट प्रतीत नहीं होती हैं। जमाबन्दी ग्राम रोही भादवां पटवार हल्का खीयेरां भूअभिलेख क्षेत्र हंसेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर खाता नया 102 व पुराना खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 355/46 मे 0.6500 हैक्टेयर बारानी 2 व खसरा नम्बर 359/132 मे 1.7200 हैक्टेयर बारानी 2 कुल 2.3700 हैक्टेयर भूमि संलग्न हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रोही भादवां पटवार हल्का खीयेरां भूअभिलेख क्षेत्र हंसेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर खाता नया 102 व पुराना खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 355/46 मे 0.6500 हैक्टेयर बारानी 2 व खसरा नम्बर 359/132 मे 1.7200 हैक्टेयर बारानी 2 कुल 2.3700 हैक्टेयर भूमि मे राजकीय विद्यालय को छोडते हुए सींवजाड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र कथन अनुसार यदि मौका पर पडौसियों के द्वारा पत्थरगडी करने के लिए मना किया जा सकता है तथा मौके पर झगडा फसाद करने पर उतारू होते है तो पुलिस इमदाद से रकबा पत्थरगडी करावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	